

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2669-तीन/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक 7-8-2014
पारित - द्वारा- कलेक्टर जिला सागर - प्रकरण क्रमांक 66 अ
21/2013-14

राधेलाल पुत्र मोहन लाल आदिवासी
निवासी ग्राम दलपतपुर मालगुजारी
तहसील खुरई जिला सागर

---आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सागर

---अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री रामबाबू दुवे
म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 28.8.2014 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्र.क. 66 अ 21/13-14
में पारित आदेश दिनांक 7-8-14 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,
1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोँश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर जिला सागर को
प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.2014 प्रस्तुत कर मांग की कि उसके एवं उसकी माँ
श्रीमती चिंतोवाई (फोट) वेवा मोहनलाल आदिवासी के नाम ग्राम दलपतपुर
मालगुजारी में भूमि सर्वे क्रमांक 67 रकबा 1.26 हैक्टर भूमि संयुक्त खाते पर
थी। अब माँ चिंतोवाई की मृत्यु हो चुकी है एवं नामान्तरण पंजी पर आदेश
दिनांक 2-2-14 से उसका नामान्तरण हो चुका है एवं वह भूमिस्वामी है।
उसके हिस्से की भूमि सर्वे क्रमांक 67 रकबा 1.26 हैक्टर के आधे भाग 0.63
हैक्टर पर राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 32/111/14 में पारित आदेश
दि. 10.2.2012 से विक्रय अनुमति मिल चुकी है। शेष रहे रकबा 0.63 हैक्टर



(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) को वह विक्रय करना चाहता है इसलिये विक्रय अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर सागर ने प्र.क. 66 अ 21/13-14 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 7-8-14 से विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि कलेक्टर सागर के पूर्व प्रकरण कमांक 2 अ 21/13-14 में आवेदक ने एवं उसकी तत्समय जीवित माँ ने संयुक्त भूमि होने से आराजी कमांक 67 के संपूर्ण रकबा 1.26 है. के भूमि विक्रय की मांग की थी, किन्तु आवेदक की माँ श्रीमती चिंतोवाई की मृत्यु हो गई एवं आवेदक एकमात्र वारिस होने से नामान्तरण नहीं हुआ, आवेदक को उसके हिस्से की आधी भूमि के विक्रय की अनुमति राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 10.2.14 से प्राप्त है और भूमि भी वही है एवं आवेदक भी वही है तथा प्रकरण के तथ्य भी वही है इसलिये राजस्व मण्डल के आदेश की तुलना में विक्रय अनुमति दे दी जावे, किन्तु कलेक्टर सागर ने वास्तविकता के विपरीत जाकर गलत आदेश पारित करके विक्रय अनुमति निरस्त की है इसलिये विक्रय अनुमति प्रदान करने हेतु यह निगरानी है विक्रय अनुमति दिये जाने की मांग की गई।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक की विक्रय अनुमति की जाँच तहसीलदार खुरई ने करके प्रतिवेदन दिनांक 6-8-13 प्रस्तुत किया है प्रकरण में भूमि भी वही है जो पूर्व में उसके माता के हिस्से की रही है जो वर्तमान में आवेदक के नाम नामात्रित है। प्रतिवेदन दिनांक 6-8-13 में तहसीलदार ने अंकित किया है कि ग्राम पंचायत महजा जाट ने प्रस्ताव/ठहराव दिनांक 12-12-2012 भूमि विक्रय अनुमति वावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भूमि मौके पर ककरीली पथरली एवं अनुउपजाउ है एवं बीमारी के इलाज हेतु विक्रय की



जा रही है। प्रकरण के अवलोकन से वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में भी वही तथ्य एवं वही निष्कर्ष होंगे, जो निगरानी क्रमांक 32/111/2014 में पारित आदेश दिनांक 10.2.2014 में निष्कर्षित किये गये हैं। विचार मात्र यह होना है कि कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 7-8-14 पारित करते समय किसी प्रकार की त्रुटि की है अथवा नहीं, क्योंकि वादोक्त भूमि पट्टे की अवश्य है किन्तु पट्टा आवेदक के पिता एवं मृतक महिला चिंतोवाई के पति के नाम का था जिसकी वृद्धावस्था प्राप्त कर मृत्यु के बाद आवेदक एवं उसकी मृतक माँ के नाम नामान्तरण हुआ और वर्तमान में उसकी माँ भी वृद्धावस्था प्राप्त कर मृतक होने का तथ्य बताया गया है। पट्टे पर प्राप्त भूमि के विक्रय पर संहिता की धारा 165 (7)(ख) प्रभावी है अथवा नहीं? अनुविभागीय अधिकारी खुरई के प्रतिवेदन दिनांक 30.9.13 के अंत में बताया गया है कि तहसीलदार खुरई ने राधेश्याम तथा चंतोवाई के संबंध में प्रथक प्रथक प्रतिवेदन दिनांक 19.9.13 प्रेषित कर आवेदकगण द्वारा भूमि विक्रय किये जाने की अनुसंशा की है। स्पष्ट है कि तहसीलदार ने जांच के दौरान पट्टा पुराना होना पाया है जिसके कारण उन्होंने भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने की अनुसंशा की है। यदि माननीय वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों पर विचार किया जाय -

1. भू-राजस्व संहिता 1959 (म0प्र) - धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) - का लागू होना - उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है "। फुल्ला विरूद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 राजस्व निर्णय 256 (उच्च न्यायालय) से अनुसरित
2. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा एक अन्य 2013 रा. नि. 8 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :-
भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) - धारा 165 (7-ख) में यह उल्लेख नहीं है कि भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगी। इस धारा के उपबंधों से यह स्पष्ट है कि यह भूमिस्वामी द्वारा अर्जित निहित अधिकार छीनती है तथा भूमि के विक्रय के विषय




में कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेने के सम्बन्ध में नया दायित्व श्रृजित करती है या नया कर्तव्य अधिरोपित करती है, अतएव धारा भूतलक्षी प्रवर्तन होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

जो भूमिस्वामी अधिकार 1978 में दिये गये, संहिता की धारा 165 (7-ख) के अंतर्गत छीने नहीं जा सकता। भूमिस्वामी को विक्रय करने का निहित अधिकार है उनके अधिकार संहिता की धारा 165 (7-ख) के अंतः स्थापन से उन्मुक्त तथा अप्रभावित हैं और संहिता की धारा 158 (3) की स्थिति वही रहेगी, क्योंकि यह 28-10-1992 के संशोधन द्वारा अंतः स्थापित की गई है।

आवेदक पिता को प्राप्त पट्टा कई वर्ष पूर्व का है। पट्टे की शर्तों का पालन करते आने से वह 10 वर्ष उपरांत विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी वह हो गया ऐसी भूमि को सद्भाविक मांग पर विक्रय अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बौधानिक अड़चन नहीं है, किंतु कलेक्टर सागर ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करके आदेश दि. 7-8-14 पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जिला सागर द्वारा प्र.क्र. 66 अ 21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 7-8-14 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसकी माँ महिला चिंतोवाई के नाम से नामान्तरण की गई भूमि सर्वे क्रमांक 67 कुल रकबा 1.26 हैक्टर के शेष बचे रकबा 0.63 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईड लायन के मान से विक्रय धन अदा होने ^{की} संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें।


(अशोक शिवहरे)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर